राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर)सीकर

क्रमांकः--एफ.16(6)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/

दिनांक 21 सितम्बर, 2007

संपरिवर्तन आदेश

रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आवाद दांता के आवेदन पर एवं उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग ,राज0 जयपुर से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.2 (110)राज/भू.रू./07 जयपुर ,दिनांक 21.707 एवं संशोधन आदेश प.2 (110)राज/भू.रू./07 जयपुर ,दिनांक 12.9.2007 के अनुसरण में आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन)नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिर्वन किया जाता है । जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है--

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा		
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टैयर में).	:	ख.न. 1296/5 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)		ख.न. 1296/5 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण
	टिप्पणी :-- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।).	:	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	रूपये 5.00 प्रति वर्गमीटर की दर से 2500 वर्गमीटर के 12,500/रू.
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	1. चालान न.363 दिनांक 18.08.2007 राशि रूपये 6250/- 2. चालान न.362 दिनांक 18.08.2007 राशि रूपये 56250/-
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	चालान न.362 दिनांक 18.08.2007 राशि रूपये 56250/-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य

Scanned with CamScanner

9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	:	–
10.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डो के अनुसार भूमि छोड़ते हुए।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क राज्यपक्ष मे छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।
2. निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियो तथा शिक्षण व अनुसंधान संस्थान का निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया जा सकेगा।
3. संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग के लिये खुला रखना होगा।
4. यदि संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग से स्कूल तक जाने के लिये रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सधारित सड़को से स्कूल तक जाने के लिये रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. संबधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक: प.6(6).राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावे।

sd/–
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर).

कमांक:–एफ.16(19).भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/14305-13 दिनांक:– 21-9-07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप शासन सचिव,राजस्व (भूमि रूपान्तरण).विभाग,राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त,जयपुर संभाग,जयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
4. तहसीलदार दांतारामगढ नक्शा ट्रेस की प्रति सहित।
5. जिला राजस्व लेखाकार,कलेक्ट्रेट,सीकर
6. सरपंच,ग्राम पंचायत दांता
7. अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता
8. रक्षित पत्रावली

(S)
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर).

Scanned with CamScanner